

नोटिस

माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के पत्र संख्या 442/यू0के0एस0एल0एस0ए0/ 2026 दिनांकित 18 फरवरी, 2026 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में पैनल में शामिल सूची से बाहर के योग्य मध्यस्थों की नियुक्ति के संबंध में यह स्पष्ट किया गया है कि नियम 3 और 5 के अनुसार निम्नलिखित मध्यस्थ व्यक्तियों को मध्यस्थ के रूप में पैनल में शामिल किया जाना है:-

ए. 1- भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश।

(ii) उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश।

(iii) सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश या समकक्ष स्तर के न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीश।

(iv) उच्च न्यायिक सेवा के न्यायिक अधिकारी।

बी. सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय या समकक्ष स्तर पर कम से कम 10 वर्षों का बार का अनुभव रखने वाले अधिवक्तागण।

सी. कम से कम 15 वर्षों का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ या अन्य पेशेवर या सेवानिवृत्त वरिष्ठ नौकरशाह (Bureaucrats) या सेवानिवृत्त कार्यकारी अधिकारी (Executives)।

अतः समस्त इच्छुक व्यक्ति जो कि उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं में योग्यता रखते हों अपना नाम पता, मोबाईल नम्बर, मय बायोडाटा एवं रजिस्ट्रेशन सहित अनिवार्य रूप से दिनांक 23.02.2026 तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

Shachi Sharma

सचिव, 20/02/26

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
अल्मोड़ा